




तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

के बाबजूद भी नुकसान एवं  
प्राकारानु मे से कोई उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः अग्रिम कदम  
हाजरी एवं कदम फेंकी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली कदम फेंकी  
में कैमल नुमांर दोकर अपिलर  
से नम भी पावे। बाग मर्दि दाखिल  
दफ्तर हो।

  
S/O